

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरु
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा
67/2019

किस्म मुकदमा
दावा 177 RTA

ता0 दायरा
15.07.2019

निर्णय तिथि
18.10.2019

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार चूरु

—वादी—

बनाम

1. श्री गौरव शर्मा पुत्र डॉ. सुशील जाति ब्राह्मण निवासी चूरु
2. उप पंजीयक, चूरु

—प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 177 सपठित धारा 63 (1) (5) आर.टी.एक्ट 1955

- उपस्थित — 1. पैरोकार राज उपस्थित।
2. प्रतिवादी सं. 1 अनुपस्थित।

निर्णय

वादी तहसीलदार, चूरु की ओर से पत्रावली पेश हुई। वादी द्वारा प्रस्तुत दावा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि कृषि भूमि खसरा नंबर 1318/1166 तादादी 0.2529 हैक्ट. रोही ढाढ़र प्रतिवादी सं. 1 के नाम से खातेदारी भूमि दर्ज है। वादगत कृषि भूमि की वास्तविक मालिक राज्य सरकार है, ने वादगत भूमि में फसल काशत करने, फसल काटने या किसी प्रकार की मौसमी पैदावार का उपभोग करने हेतु प्रतिवादी सं. 1 को दी गई है। जिसे करने के लिए काशतकार पूर्णतया स्वतंत्र है व किसी अनुमति के बिना ऐसा कर सकता है परन्तु भूमि को किसी अन्य अकृषि कार्यों या उपयोग में लेने हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अध्ययधीन अनुमति प्राप्त कर ही उपयोग में लिया जा सकता है। वादगत कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किये ही प्राप्त अधिकारों के विपरीत अकृषि कार्य जिसमें खातेदार द्वारा बिना अनुमति प्राप्त किये ही प्राप्त अधिकारों के विपरीत अकृषि कार्य जिसमें भूमि की मिट्टी का कटाव कर भूमि को अन्य अकृषि प्रयोजन हेतु समतल कर दिया व भूमि पर ढाबा/होटल निर्माण कार्य करके भूमि की प्रकृति बदल दी है जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है तथा कृषि भूमि को हानिकर कार्य कर क्षति पहुंचाई है। जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त कृत्य करने पर विवादित भूमि को उनके खातेदारी अधिकार से हटाये जाने योग्य हो गई है एवं प्रतिवादी सं. 1 वादगत भूमि से बेदखल किये जाने योग्य हो गया है। अतः वादगत कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी से हटायी जाकर राजकीय सिवायचक घोषित की जावे एवं प्रतिवादी सं. 1 को उक्त भूमि से बेदखल करने का आदेश जारी किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 के पिता पर तामील विधिवत होने के बावजूद प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ जिस पर प्रतिवादी सं. 1 को न्यायालय समय में बार-बार आवाजें लगाई गई परन्तु बिना कोई उचित कारण के अनुपस्थित रहे। इसलिए प्रतिवादी सं. 1 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु नियत की गई। पैरोकार राज ने पत्रावली पर पेश दस्तावेजात् को ही साक्ष्यवादी मानने का निवेदन किया जो तदनुसार माना जाकर पैरोकार राज की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी

चूरु

पैरोकार राज ने बहस में वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादी सं. 1 ने वादगत कृषि भूमि का बिना संपरिवर्तन कराये ढाबा/होटल निर्माण कर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लेना शुरू कर दिया है जिससे उक्त कृषि भूमि की कृषि प्रकृति को नुकसान पहुंचा है तथा भूमिधारी राजस्थान सरकार को राजस्व की हानि हुई है। प्रतिवादी विधिवत तामील के बावजूद उपस्थित नहीं आया है। प्रतिवादी द्वारा नियम व कानूनों की अवहेलना कर कृषि भूमि को बिना संपरिवर्तन कराये व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग करना शुरू कर रखा है जिससे भूमि की कृषि प्रकृति को नुकसान पहुंचा है। प्रतिवादी द्वारा उक्त कृत्य करने पर विवादित भूमि उसके खातेदारी अधिकार से हटाये जाने योग्य हो गई है एवं प्रतिवादी सं. 1 वादगत भूमि से बेदखल किये जाने योग्य हो गया है। अतः वादगत कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी से हटायी जाकर राजकीय सिवाय चक घोषित की जावे एवं प्रतिवादी सं. 1 को उक्त भूमि से बेदखल करने का आदेश जारी किया जावे।

पैरोकार राज की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर पत्रावली पर पेश दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। वादी ने अपने दावे के समर्थन में वादगत कृषि भूमि खसरा नंबर 1318/1166 तादादी 0.2529 हैक्टेयर रोही ढाढर की नकल जमाबंदी संवत 2070-2073, नकल नक्शा अक्स ख.नं. 1318/1166 एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 17.06.19 आदि पेश किये हैं। जमाबन्दी के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि वादगत कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 की खातेदारी भूमि है। रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 17.06.19 में अंकित आया है कि ग्राम ढाढर के ख.नं. 1318/1166 तादादी 0.2529 हैक्टेयर किस्म बारानी कृषि भूमि में से 2000 वर्गफीट भूमि पर अवैध निर्माण कर होटल खुशी होटल एवं रेस्टोरेण्ट के काम में लिया जा रहा है। निर्माण पक्का किया हुआ है। नकल नक्शा ख.नं. 1318/1166 के अनुसार उक्त कृषि भूमि एन.एच. 52 पर स्थित है जिसके दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में प्रतिवादी द्वारा होटल खुशी होटल एवं रेस्टोरेण्ट बनाया गया है जो नक्शा में लाल स्याही से दर्शित है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त कृषि भूमि की भू-धारक राजस्थान सरकार है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 को कृषि कार्य के उपयोग व उपभोग हेतु खातेदारी दी हुई है। रिपोर्ट पटवारी हल्का ढाढर दिनांक 15.07.2019 के अनुसार वादगत कृषि भूमि को बिना संपरिवर्तन करवाये भूमि की किस्म बदल दी है। मौके पर खातेदार द्वारा कृषि भूमि को भूमि का बिना संपरिवर्तन करवाये ढाबा/होटल का निर्माण कर व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लिया जा रहा है तथा भूमि का रूप परिवर्तन कर दिया है। खातेदार को बार-बार रोकने के बावजूद भी कृषि भूमि को व्यावसायिक रूप परिवर्तन किया जा रहा है व कृषि कार्य में लेना बंद कर दिया है। इस प्रकार उक्त दस्तावेजों से कृषि से भिन्न कार्य होटल/ढाबा निर्माण करना प्रमाणित है जिसका प्रतिवादी सं. 1 को कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी विधिवत तामील के बावजूद भी ना तो उपस्थित आया है तथा ना ही प्रतिवादी सं. 1 की ओर से संपरिवर्तन की कार्यवाही करने का कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश किया गया है जिससे यही परिलक्षित होता है कि प्रतिवादी द्वारा जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत दावा पत्रावली पर पेश दस्तावेजी साक्ष्यों से वादी के पक्ष में भली भांति प्रमाणित होता है। अतः दावा वादी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।



उपखण्ड अधिकारी

धूस

निर्णय

अतः दावा वादी अन्तर्गत धारा 177 व सपठित 63 (1) (5) आर.टी.एक्ट 1955 का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 1318/1166 तादादी 0.2529 हैक्टेयर रोही ग्राम ढाढर में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज खातेदारी निरस्त की जाकर राजकीय सिवाय चक भूमि घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार, चूरु को उक्त वादगत कृषि भूमि का कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार, चूरु इसी अनुसार पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.10.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, चूरु
चूरु

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरु

ब इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार चूरु

बनाम

-वादी-

1. श्री गौरव शर्मा पुत्र डॉ. सुशील जाति ब्राह्मण निवासी चूरु
2. उप पंजीयक, चूरु

दावा अन्तर्गत धारा 177 सपठित धारा 63 (1) (5) आर.टी.एक्ट 1955
मुकदमा नं. 67 सन् 2019

-प्रतिवादीगण-

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी पैरोकार राज वादी, मिनजानिब मुदईब व मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:-

दावा वादी अन्तर्गत धारा 177 व सपठित 63 (1) (5) आर.टी.एक्ट 1955 का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नम्बर 1318/1166 तादादी 0.2529 हैक्टेयर रोही ग्राम ढाढर में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज खातेदारी निरस्त की जाकर राजकीय सिवाय चक भूमि घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार, चूरु को उक्त वादगत कृषि भूमि का कब्जा बहक सरकार लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार, चूरु इसी अनुसार पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 18 माह अक्टूबर सन् 2019 को जारी की गई।



(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरु